

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17345/2023

1. लोकेश कुमार पुत्र मदन लाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, करणी माता मंदिर के पास, ग्राम चारणवास, मायापुर, नागौर, राजस्थान।
2. रमेश कुमार पुत्र जयनारायण, उम्र लगभग 31 वर्ष, वार्ड नंबर 4, पांडुसर, हनुमानगढ़, राजस्थान।
3. विक्रम राठौड़ पुत्र पाबूदान सिंह राठौड़, उम्र लगभग 34 वर्ष, रामपुरा बास, जासासर, चूरू, राजस्थान।
4. ममतेश कंवर, उम्र लगभग 29 वर्ष, पुत्री देवेन्द्र सिंह कानावत निवासी थाल कलां, भीलवाड़ा, राजस्थान।
5. मोनिका पुत्री हनुमान सिंह पाबसी, उम्र लगभग 33 वर्ष, ददरेवा, चूरू, राजगढ़, राजस्थान।
6. चेना राम मुवाल पुत्र जगदीश प्रसाद मुवाल, उम्र लगभग 29 वर्ष, डेगाना गणव, मुवालों का मौहल्ला, डेगाना नागौर, राजस्थान।
7. राजू राम पुत्र नानक राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, लूणासर, पोस्ट भोजासर छोटा, वार्ड नं. लूणासर चूरू, राजस्थान।
8. अनिल कुमार पुत्र सांवताराम, उम्र करीब 28 साल, मीगना, चूरू, राजस्थान
9. कुलदीप सोनी पुत्र दयाशंकर सोनी, उम्र करीब 30 साल, खंडाल भवन के पास, वार्ड नंबर 22, सुजानगढ़, चूरू, राजस्थान .
10. रचना पत्नी कुलदीप सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, मकान नंबर 55, कन्या स्कूल, बीरन 5 एम्स, तहसील भादरा, हनुमानगढ़, राजस्थान।
11. विकाश कुमार पुत्र रमेश कुमार, उम्र लगभग 36 वर्ष, वार्ड नंबर 3, वीपीओ मालखेड़ा, 5 एम्स, हनुमानगढ़, राजस्थान।

12. प्रियंका पुत्री लीलाधर, उम्र लगभग 28 वर्ष, वार्ड नंबर 1, गांव निनान, 6 जेजीडब्ल्यू, हनुमानगढ़, भादरा, राजस्थान।
13. सुनीता रानी पत्नी अमित कुमार, उम्र लगभग 32 वर्ष, वार्ड नंबर 17, रेगारो का मोहल्ला, नोहर, हनुमानगढ़, राजस्थान।
14. प्रदीप कुमार स्वंकर पुत्र सीताराम स्वंकर, उम्र लगभग 33 वर्ष, महु, इब्राहिमपुर, करौली, राजस्थान।
15. अनुराधा शर्मा पुत्री हरि शंकर शर्मा, उम्र लगभग 37 वर्ष, 48 वर्ष, जलालपुर, कटोरा, शिकारपुर बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।
16. सुमन देवी पत्नी किशन कुमार, उम्र लगभग 31 वर्ष, 49, मींगनी खेड़ा, हिसार, हरियाणा 17. मुकेश कुमार पुत्र हरि सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, बेरला, भिवानी, हरियाणा 18. राजेश कुमार माली पुत्र ओ हरि चरण माली, उम्र लगभग 35 वर्ष, जाखोदा, करौली, राजस्थान।
19. छोटू राम पुत्र महेंद्र सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, कुसंबी, 50 सिरसा, हरियाणा
20. सुमन देवी पत्नी वेदप्रकाश, उम्र लगभग 34 वर्ष, वार्ड नंबर 20, देगावास, तारानगर, चूरू, राजस्थान।
21. नरेश कुमार पँवार पुत्र बजरंग लाल पँवार, उम्र लगभग 33 वर्ष, 154 पंचायत भवन की दर्रा, दबदुम्बा, टोंक, राजस्थान।
22. मेनका पत्नी दीपक कुमार, उम्र लगभग 33 वर्ष, नावता, झुंझुनू, राजस्थान।
23. कंचन देवी पत्नी धर्मन्द्र चौधरी, उम्र लगभग 32 वर्ष, घोसी बाबा की ढाणी, पिंगोल्ड, अजमेर राजस्थान।
24. ममता कुमारी पुत्री राम कुमार सैनी, उम्र लगभग 34 वर्ष, पोस्ट सरुंड, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर 25. राहुल कुमार गुर्जर पुत्र सुरेंद्र सिंह गुर्जर, उम्र लगभग 30 वर्ष, बासड़ा, अनंतवाड़ा, दौसा, बसवा, राजस्थान

26. बबीता कुमारी पत्नी मंजीत सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, वार्ड नंबर 6, बागड़, झुंझुनू, राजस्थान।
27. सपना कुमारी पुत्री मोहन सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, हसनपुर, भरतपुर, राजस्थान।
28. सुभाष चंदर पुत्र शब राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, शेरपुरा, सिरसा, हरियाणा
29. दिलखुश कंवर पत्नी दिलीप सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, राजपूत मोहल्ला, सावर, कालेरा कंवर जी, अजमेर, राजस्थान।
30. विष्णु कुमार पुत्र कप्तान सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, राजपुरा, भरतपुर, राजस्थान।
31. रतनी कुमारी पत्नी सतीश चंद्र, उम्र लगभग 44 वर्ष, वार्ड नंबर 30, आदर्श नगर, कुवा ढाना, चिराना, झुंझुनू, राजस्थान।
32. ममता खटीक पुत्री कैलाश चंद, उम्र लगभग 31 वर्ष, 929, खेड़ा के रास्ते पार, बकानी, झालावाड़, राजस्थान।
33. रमेश कुमार पुत्र शंकर लाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, कुकर थाना, सिरसा, मोचीवाली हरियाणा।
34. मो. शाहीन पुत्र इकबाल खान, उम्र लगभग 33 वर्ष, क्यामसर, धनूरी, झुंझुनू, राजस्थान।
35. सरोज कुमारी पत्नी राकेश कुमार, उम्र लगभग 33 वर्ष, बकरा, झुंझुनू, राजस्थान।
36. पवन कुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मी नारायण गुप्ता, उम्र लगभग 37 वर्ष, 7-बी, तेज मंडी, स्टेशन रोड, पुरानी दिल्ली के पास, ट्रक यूनियन, अलवर, राजस्थान।
37. ममता यादव पत्नी छाजू राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, बुहाना, झुंझुनू, राजस्थान।
38. प्रीति कश्यप, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता विष्णु भगवान निवासी 34/537

सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।

39. कृष्णा बाकोलिया पुत्री गोकुल प्रसाद, उम्र लगभग 32 वर्ष, पवन पुजारी के कुएं के पास, हमीरी रोड, वार्ड नंबर 17, झुंझुनू, राजस्थान।

40. भंवर कंवर राजपूत, उम्र लगभग 29 वर्ष, पुत्र हेमेंद्र सिंह नरूका निवासी उथमा चांदली, टोंक, राजस्थान।

41. ब्रह्मा कुमारी पुत्री विकास चौधरी, उम्र लगभग 38 वर्ष, पेट्रोल पंप के पास वार्ड नंबर 13, मटोर रोड, खैरथल, अलवर, राजस्थान।

42. अभिषेक जैन पुत्र ओम प्रकाश जैन, उम्र लगभग 31 वर्ष, बी-80, सुमन विहार, तृतीय, कुन्हारी कोटा, शम्भूपुरा, कोटा, राजस्थान।

43. प्रमोद कुमार पुत्र बनवारी लाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, बिरोल, झुंझुनू, राजस्थान।

44. रीना वैष्णव पत्नी शुभम वैष्णव, उम्र लगभग 31 वर्ष, हाट चौक, अटरू, बारां, राजस्थान।

45. संतोष यादव पुत्री साधु राम गोघर, उम्र लगभग 33 वर्ष, ग्राम राडावास, तहसील शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान।

46. सुरेंद्र गोचर पुत्र रामदयाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, रामपुरिया टोडिया, तहसील किशनगंज, बारां, राजस्थान।

47. राजेश कुमार लोववंशी, उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र हीरा लाल लोववंशी निवासी अमरपुरा, बारां, राजस्थान।

48. संगीता भैरा पत्नी धर्मचर सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, ग्राम हंसास, तहसील बुहाना, झुंझुनू, राजस्थान।

49. अंकिता कुमारी पत्नी पंकज कालेर, उम्र लगभग 27 वर्ष, 970 कालेर सदन, हवाई पट्टी, सर्कल वार्ड नंबर 11, झुंझुनू, राजस्थान।

50. इंदुप्रभा सेन पत्नी बनवारी सैन, उम्र लगभग 30 वर्ष, पांडुला, ग्राम पंचायत सुवानिया, पोस्ट धनुगांव तहसील नैनवां धनुगांव, बूंदी, राजस्थान।

51. कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र घासी लाल शर्मा, उम्र लगभग 31 वर्ष, लाडो का मोहल्ला बांसी, बूंदी, राजस्थान।
52. नीरज सिंह पुत्र भगवान सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, ग्राम पोस्ट नेवादा, नाईवाड़ा, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर, राजस्थान।
53. प्रियंका शर्मा पत्नी पुनित कुमार भारद्वाज, उम्र लगभग 31 वर्ष, तहसील नादौड़, खरवड़ बास, गुरहा, चंद्राजी, करौली, राजस्थान।
54. शिव राम जाट पुत्र हरी राम जाट, उम्र लगभग 31 वर्ष, ग्राम सीसोला, तहसील पीपलू, सीसोला, टोंक, राजस्थान।
55. शमशेर सिंह गुरजात पुत्र बच्चू सिंह गुरजात, उम्र लगभग 29 वर्ष, तहसील नादौती, मुहाना, करौली, राजस्थान।
56. शिवम मित्तल पुत्र गिराज प्रसाद मित्तल, उम्र लगभग 25 वर्ष, बसेड़ी, धौलपुर, राजस्थान।
57. दिलीप शर्मा पुत्र गणेश राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, लाभकरण रोड, डोगरपुर, कैलारस मुरैना, मध्य प्रदेश 58. गजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र प्रेम प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 38 वर्ष, तिमासिया बसेरी, धौलपुर, राजस्थान।
59. रवीन्द्र कुमार पुत्र शिशुपाल सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, वीपीओ लुडू, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
60. राहुल पुत्र भगवान सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, 6/212 गोलपुरा रोड, अग्रसेन स्कूल के पीछे राधा नगर, भरतपुर, राजस्थान।
61. अंतिमा सुमन, उम्र लगभग 31 वर्ष, पुत्र जीतेन्द्र कुमार सुमन निवासी ग्राम पोस्ट जलवाड़ा, किशनगंज, बारां, राजस्थान।
62. सुमन पत्नी विजय सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, वार्ड नंबर 9, रामगढ़, 16 डीपीएन, हनुमानगढ़, राजस्थान।
63. राजेश कुमार पुत्र मांगेराम, उम्र लगभग 32 वर्ष, चीमा का बास, झुंझुनू, राजस्थान।

64. किशोर कुमार पुत्र समेंदर सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, वार्ड नंबर 2, शिव नगर, भोजननगर, झुंझुनू, राजस्थान।
65. देवेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, छोकरवाड़ा कलां, भरतपुर, राजस्थान।
66. शिवम कुमार पुत्र भान सिंह परमार, उम्र लगभग 25 वर्ष, पूठपुरा कलां, धौलपुर, राजस्थान।
67. शिवपाल सैनी पुत्र दौला राम सैनी, उम्र लगभग 33 वर्ष, भरणां की ढाणी, वार्ड नंबर 3, थोई सीकर, राजस्थान।
68. सुनीता चौहान, उम्र लगभग 32 वर्ष, पुत्री भागचंद माली निवासी 27, वार्ड नंबर 1, रगुनाथ जी मंदिर के पास, बिसुंदनी, अजमेर, राजस्थान।
69. भूपेन्द्र सिंह पुत्र खैम सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, खीरी देवीसिंह, भरतपुर, राजस्थान।
70. सीमा पत्नी राजेश बड़त्या, उम्र लगभग 34 वर्ष, सी-41, श्री जी नगर, एकता पथ दुर्गापुर, जयपुर।
71. तोफान चंद बैरवा पुत्र मोहन लाल बैरवा, उम्र लगभग 41 वर्ष, जीपीएस सादुलपुरा, चांदसमा, राजस्थान।
72. विकास यादव पुत्र शैतान राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, ढाणी गोपाला, तहसील कोटपूतली, लड़ाकाबास, जयपुर, राजस्थान।
73. राम धीरज साहू पुत्र बट्टी लाल साहू, उम्र लगभग 35 वर्ष, संतोष नगर बम्बोर रोड, टोंक, राजस्थान।
74. मनीषा शर्मा पत्नी उमेश कुमार शर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, 7/267, सेक्टर 7, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान।
75. राजेश कुमार पुत्र देवीदत्त, उम्र करीब 31 साल, सज्जन का पार, रामसर, बाड़मेर।

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर, राजस्थान।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, डीडवाना- कुचामन, राजस्थान।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, हनुमानगढ़, राजस्थान।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर, राजस्थान।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, शाहपुरा, राजस्थान।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, चूरू, राजस्थान।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, धौलपुर, राजस्थान।
10. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, ब्यावर, राजस्थान।
11. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, झुंझुनू, राजस्थान। 12. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, करौली, राजस्थान।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, केकड़ी, राजस्थान।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, दौसा, राजस्थान।
15. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर, राजस्थान।
16. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, कोटा, राजस्थान।
17. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, खेड़ताल-तिजारा, राजस्थान।
18. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बारां, राजस्थान।
19. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बूंदी, राजस्थान।
20. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, गंगापुर सिटी, राजस्थान।
21. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, टोंक, राजस्थान।

22. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, नीम का थाना, राजस्थान।
23. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, दूदू, राजस्थान।
24. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, कोटपुतली- बहरोड,
राजस्थान

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री वी.एल.एस. राजपुरोहित

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विशाल जांगिड़

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

03/05/2024

1. चुनौती के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 04.10.2023 और 05.10.2023 (अनुलग्नक-9) के आपत्तिजनक कार्यालय आदेशों के तहत घोषित शिक्षक ग्रेड-III (स्तर-I) के पद पर नियुक्ति के लिए लगभग 1000 से अधिक सफल उम्मीदवारों के चयन परिणाम हैं।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि दिनांक 17.06.2023 (अनुलग्नक 2) की अधिसूचना के तहत, प्रतिवादियों ने राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक ग्रेड-III (स्तर-I) के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए।

2.1 पात्र होने के कारण याचिकाकर्ताओं ने भी उक्त पद के लिए अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। प्रतिवादियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिभागी को अगली प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए लिखित परीक्षा में 30 अंकों में से न्यूनतम 12 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.2 याचिकाकर्ता भी परीक्षा में उपस्थित हुए और उन सभी ने कुल 30 अंकों में से 12 से अधिक अंक प्राप्त किए।

2.3 दिनांक 09.09.2023 और 01.10.2023 के आदेशों (अनुलग्नक 8) के तहत जिलों को चुनने के लिए विकल्प आमंत्रित किए गए थे। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने भी अपने विकल्प और जिलों की वरीयता प्रस्तुत की। दिनांक 04.10.2023 के विवादित आदेश के तहत, प्रतिवादियों ने आवंटित स्कूलों के साथ चयनित उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची जारी की। चयनित उम्मीदवारों को उनकी नई पोस्टिंग में शामिल होने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के नाम चयन सूची में नहीं हैं। इसके लिए कोई कारण नहीं बताए गए हैं, भले ही याचिकाकर्ताओं ने दिशानिर्देशों के अनुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसलिए, यह रिट याचिका।

3. जवाब में, जवाब में लिया गया बचाव यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका पूरी तरह से योग्यता से रहित है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका का एकमात्र आधार उनके इस दावे पर आधारित है कि चयन सूची में नामित उम्मीदवार संभवतः मेरिट में निचले स्तर के हैं। इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों और उनकी पसंद के जिलों में कट ऑफ के विवरण के साथ-साथ उनके चयन न होने के कारण को दर्शाते हुए एक तुलनात्मक सूची उत्तर के साथ अनुलग्नक-आर/1 के रूप में संलग्न की गई है।

3.1 इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने उन उम्मीदवारों को पक्षकार नहीं बनाया है, जिन्हें पोस्टिंग के लिए चुना गया है, जिनके अधिकार और हित निश्चित

रूप से याचिकाकर्ता द्वारा अंतिम चयन आदेशों को रद्द करने और अलग रखने की प्रार्थना से प्रभावित होने वाले हैं (अनुलग्नक 9)। इस प्रकार, आवश्यक पक्षों को पक्षकार न बनाने के आधार पर भी, वर्तमान रिट याचिका, योग्यता के आधार पर खारिज करने के अलावा, पोषणीय नहीं है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के बाद, यह सामने आता है कि याचिकाकर्ता इस आधार पर परमादेश की मांग कर रहे हैं कि चूंकि उन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और सफल नहीं होने के बावजूद, उन्हें उनकी पसंद के जिले में नहीं चुना गया है। प्रतिवादी उनकी योग्यता और क्षमता की परवाह किए बिना उन्हें रिक्त पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं, उनका रुख है।

6. मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों की बेस्वादता से सहमत होने में असमर्थ हूं। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और अन्यथा पद के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र और योग्य हैं, इसलिए प्रतिवादी उनकी योग्यता की परवाह किए बिना उन्हें अपनी पसंद के जिलों में चुनने के लिए बाध्य हैं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

7. यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि पात्रता के लिए योग्यताएं योग्यता और योग्यता के मुकाबले पूरी तरह से अलग आधार पर हैं। चयन का पूरा उद्देश्य उम्मीदवार की योग्यता और योग्यता का निर्धारण करना है, जब वह पात्र और योग्य पाया जाता है। यह सुझाव देना कि योग्यता सूची में असफल रहे

अभ्यर्थी को केवल इसलिए नियुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि उसकी पात्रता के आधार पर रिक्तियां मौजूद हैं, खतरे से भरा है और इसका परिणाम पूरी प्रतियोगी चयन प्रक्रिया को हास्यास्पद बना देगा।

8. इसके अलावा, अधिसूचना दिनांक 17.6.2023, खंड-3 और 4 के अनुसार, स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि भर्ती महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) स्कूलों में नियुक्ति के लिए है/थी। भर्ती अधिसूचना के खंड-8 में स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में प्रावधान है कि प्रक्रिया में केवल चयन होने से कोई अभ्यर्थी महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) स्कूलों में अपनी नियुक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, वे शिक्षक ग्रेड-III के पद पर कार्यरत हैं और उक्त पद के लिए संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी और चयन समिति के अध्यक्ष हैं। अन्य जिलों में भर्ती के मामले में भी यही स्थिति है। इसके अलावा, 2023 के नियम निदेशक को चयन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार भी देते हैं। 2023 के नियम-10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता मानदंड प्रदान करते हुए दिनांक 17.6.2023 को दिशा-निर्देश जारी किए। प्रासंगिक रूप से, इसे रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई है।

9. दिनांक 17.6.2023 के दिशा-निर्देशों के खंड-1 के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ता जिला स्तरीय पदों पर हैं, इसलिए उनका चयन केवल उसी जिले में किया जा सकता है, जहां वे वर्तमान में तैनात हैं।

10. इस आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

11. याचिका खारिज की जाती है।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।